

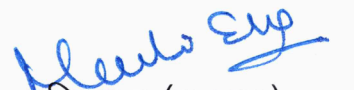
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

क्र राउन्यापी/लाइब्रेरी/बाइन्डिंग 174

दिनांक : 30-01-2026

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के पुस्तकालय अनुभाग की "विधि पुस्तकों एवं पत्रिकाओं आदि की उच्च श्रेणी की बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग (स्वर्ण अक्षर अंकित गिल्ट लेबल सहित) हेतु" दर निर्धारण बाबत मोहरबंद निविदायें एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी अनुमानित लागत रुपये 9,27,000/- है तथा अनुमोदित दर अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट एवं SPP PORTAL से डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक "रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर" के पक्ष में पृथक् से देना होगा। निविदायें दिनांक 06.02.2026 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 07.02.2026 को क्रय समिति के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में प्रातः 11.30 बजे खोली जायेगी। निविदा के साथ निविदा राशि की 2 प्रतिशत के समतुल्य अर्थात् रुपये 18,540/- का बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी अमानत राशि/बिड सिक्युरिटी के रूप में रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के नाम से जमा कराना होगा।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)

REGISTRAR (ADMN.)
RAJASTHAN HIGH COURT BENCH
JAIPUR

रुपये :- 500 / -

अंतिम तिथि : 06.02.2026

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निविदा पत्र

1. विषय :- विधि पुस्तकों एवं पत्रिकाओं आदि की उच्च श्रेणी के बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग (स्वर्ण अक्षर अंकित गिल्ट लेबल सहित) हेतु निविदा।
2. निविदा देने वाली फर्म का नाम व पूरा पता
3. पते पर भेजा गया :- रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर (राज.)
4. संदर्भ निविदा सूचना संख्या/पुस्तकालय/दिनांक :
5. निविदा का शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक
6. हमारी ओर से बाईन्डिंग/रिबाईन्डिंग कार्य की दरें :-
 1.
 2.
 3.
 4.
7. हम, रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या पुस्तकालय, दिनांक में वर्णित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य है।
8. पुस्तकों आदि बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग धन करके 30 दिन की अवधि में लौटा दी जावेगी।
9. उपरोक्त अंकित दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य है।
10. पारस्परिक समझौते के जरिये परस्पर सहमति से इन्हीं दरों एवं शर्तों पर अनुबंध की अवधि आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।
11. निविदा के साथ निविदा मूल्य हेतु रु. 500/- का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक एवं बिड सिक्योरिटी राशि रुपये 18,540/- का बैंकर चैक या डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पक्ष में जमा कराने हेतु संलग्न है।

REGISTRAR (ADMN.)
RAJASTHAN HIGH COURT BENCH
JAIPUR

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निविदा एवं संविदा की शर्तें तथा जिल्दसाजी की विशिष्टताएं :-

सूचना :- निविदादाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों एवं विशिष्टताओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

1. निविदायें मुहरबंद लिफाफे में भेजी जानी है।
2. निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर संलग्न होना चाहिये।
3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिए तथा दरें शब्दों तथा अंकों दोनों में बिना किसी काट-छांट के स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये। अंकों एवं शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर शब्दों में दी गई दरें मान्य होगी।
4. निविदा केवल उन्हीं जिल्दसाजों/फर्मों द्वारा दी जानी चाहिये जो या तो स्वयं बाइन्डिंग का काम करते हो या उनके द्वारा बाइन्डिंग का काम कराया जाता है।
5. निविदादाता को बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग की शर्तें एवं विशिष्टताएं आदि सावधानीपूर्वक पढ़ी एवं समझी हुई मानी जायेगी। यदि उन शर्तों या विशिष्टताओं के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह होगा तो प्रभारी अधिकारी को सम्पर्क करेगा तथा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
6. बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग की गई पुस्तकें उनकी विशिष्टताओं से पूर्णतः मिलती हुई सर्वोत्तम किस्म की बाइन्डिंग होगी। बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग की किस्म के बारे में रजिस्ट्रार (प्रशासन) का निर्णय अंतिम होगा तथा वह निविदादाता के लिए मान्य होगा।
7. पुस्तकालय से पुस्तकें बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग हेतु ले जाने का दायित्व निविदादाता का होगा एवं निविदादाता पुस्तकों की बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग करके ठीक तरह से बांध/पैक कर अच्छी दशा में पुस्तकालय में पहुंचायेगा। बंधी हुई पुस्तकों को पहुंचाते समय किसी प्रकार की हानि, नुकसान या टूट आदि के लिए निविदादाता ही जिम्मेदार होगा। बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग निर्देशानुसार नहीं होने अथवा खराब बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग की दशा में भुगतान देय नहीं होगा। साथ ही बाइन्डिंग/रि-बाइन्डिंग कार्य के दौरान रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने पर पुस्तक/जर्नल की कुल लागत की राशि दंड स्वरूप वसूल की जायेगी।
8. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ, जयपुर से एफ.ओ.आर. (निःशुल्क) उद्धृत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते (जी.एस.टी. को छोड़कर) समाहित होनी चाहिये। स्थानीय जिल्दसाजों के मामले में भी करों (जी.एस.टी. को छोड़कर) को शामिल किया जाना चाहिए एवं बंधी हुई पुस्तकों की प्राप्ति इस न्यायालय के पुस्तकालय में की जायेगी।

REGISTRAR (ADMN.)
RAJASTHAN HIGH COURT BENCH
JAIPUR

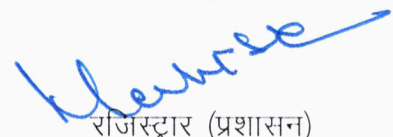
9. स्वीकृत दरें, दर अनुमोदन होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे परस्पर सहमति से इन्हीं दरों एवं शर्तों पर आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
10. निविदादाता को, जिसकी कि निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे अपने निविदा प्रपत्र में भरे गये समय के अनुसार पुस्तकें बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग करके लौटाना होगा।
11. निविदा के साथ बाईन्डिंग में प्रयोग किये जाने वाले नमूने प्रस्तुत करने होंगे।
12. निविदादाता को 'विधि' पुस्तकों के बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
13. यदि सेवा प्रदाता का कार्य संतोषप्रद नहीं होता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद किसी भी समय निविदा निरस्त की जा सकेगी।
14. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता होगी।
15. कार्यादेश जारी किये जाने के बाद बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग कार्य निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा।
16. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापस लेता है, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद बिड सिक्युरिटी राशि जमा नहीं कराता है तो बकाया राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
18. बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) को होगा।
19. क्रय समिति नियमानुसार न्यूनतम निविदादाता को नेगोसियेशन के लिए आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निविदा सूचना निरस्त की जा सकती है।
20. निविदादाता को निविदा के साथ निविदा मूल्य की राशि के 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि अर्थात् रुपये 18,540/- बिड सिक्युरिटी के रूप में जमा करानी होगी। इसके बिना निविदा अमान्य होगी। एस.एस.आई. एवं रूग्ण इकाईयों को 'बोली प्रतिभूति राशि' एवं 'कार्य सम्पादन प्रतिभूति' राशि में नियमानुसार छूट होगी। यह राशि रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पक्ष में बैंकर चैक या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी द्वारा जमा करानी होगी। जिन निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें निविदा के साथ प्रस्तुत बिड सिक्युरिटी राशि अंतिम स्वीकृति जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर लौटा दी जायेगी। जबकि स्वीकृत निविदादाता को परफोरमेंस सिक्युरिटी राशि (कार्य सम्पादन की प्रतिभूति राशि) बाबत स्वीकृत निविदा कार्य लागत की 5 प्रतिशत की राशि के समतुल्य अर्थात् रुपये 46,350/- का एफ.डी.आर. एग्रीमेंट के साथ जमा कराना होगा। यह राशि तब तक जमा रहेगी जब तक कि अनुबंध प्रचलित रहेगा। कार्य

असंतोषप्रद पाये जाने अथवा अनुबंध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

21. बिड सिक्युरिटी राशि/परफोरमेंस कार्य सिक्युरिटी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
22. (1) बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग की हुई पुस्तकें अच्छी दशा में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पुस्तकालय में संभलाई जायेगी।
(2) बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग की हुई पुस्तकें पुस्तकालय में चैक एवं दर्ज करने के पश्चात् उन पुस्तकों का बिल भुगतान हेतु पारित किया जायेगा।
23. कार्य में विलम्ब करने पर अथवा कार्य नहीं करने पर अन्य फर्मों से कार्य करवाने पर विभागीय क्षति पूर्ति के लिए संवेदक उत्तरदायी रहेगा।
24. नियमानुसार निविदा स्वीकृत होने की सूचना के पश्चात् रुपये 500/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सात दिवस में अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. उपरोक्त के अतिरिक्त सा.वि.ले.नि./आर.टी.पी.पी. एक्ट के समस्त प्रावधान स्वतः ही लागू होंगे।

जिल्दसाजी की विशिष्टताएँ :-

1. पुस्तकें, राजपत्र एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की अर्द्धचर्म जिल्दसाजी, जिनके कोने चमड़े के बनाये जाये।
2. चमड़ा जो प्रयुक्त हो भेड़ या बकरे का चमड़ा, जो पूर्णतया शोधित हो, काम में लिया जावे।
3. फलक, (दफ्तरी) पुस्तक के आकार के अनुरूप वजन की दोतरफा फलक का प्रयोग किया जावे।
4. सिलाई केवल जुज और लपेट सिलाई ही की जाये।
5. पुस्तक बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग में मलमल अथवा अन्य उच्च श्रेणी के वस्त्र का प्रयोग होना चाहिए अथवा अस्तर नहीं लगाई जावे।
6. पुस्तक के पृष्ठ भाग (पुश्त) पर उच्च श्रेणी का अस्तर (गिल्ट लेवल) चिपकाया जाना चाहिये और काली जिल्दसाजी की अवस्था में स्वर्ण अक्षर पुस्तक के पृष्ठ भाग पर अंकित किये जाने चाहिये।
7. पुस्तकों की फलक पर उच्च श्रेणी के काले वस्त्र का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
8. सिलाई के पश्चात्, पुस्तकों को अच्छी तरह से पीट कर गोलाई निकाली जाये।
9. राजपत्रों के बाईन्डिंग/रि-बाईन्डिंग में कागज की कतरनें उपयोग में लानी होगी, जिससे कि पृष्ठ भाग (पुश्त) संतुलित एवं ठीक प्रकार से रहे।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

REGISTRAR (ADMN.)
RAJASTHAN HIGH COURT BENCH
JAIPUR